भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4689
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

4689. सुश्री एस. जोतिमणि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उच्च और निचली न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट नीतियां या आरक्षण हैं और यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसे उपाय शुरू करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने न्यायिक नियुक्तियों में लैंगिक विविधता को बढ़ाने के लिए न्यायपालिका अथवा कॉलेजियम प्रणाली के साथ कोई चर्चा की है और यदि हां, तो ऐसी चर्चाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अन्य देशों की तुलना में भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और न्यायिक प्रणाली में लैंगिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए भारत क्या सबक अपना सकता है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 तथा 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं।

प्रक्रिया के ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों की शुरूआत का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित होता है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों की शुरूआत का उत्तरदायित्व संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित होता है। तथापि, सरकार न्यायपालिका में सामाजिक विविधता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अनुरोध किया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजने के दौरान, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक् विचार किया जाए ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता को सुनिश्चित किया जा सके। केवल वे व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा सिफारिश किए जाते हैं, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

2014 से अब तक, उच्चतम न्यायालय में 06 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा उच्च न्यायालयों में 162 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। 18.03.2025 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में 02 महिला न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों में

110 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में 7,852 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं।

जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 तथा 234 के अनुसार राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन आती हैं। भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से विरचित नियमों द्वारा शासित होती है।

न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व पर देश भर में तुलनात्मक डाटा केंद्रीय रूप से अनुरक्षित नहीं किया जाता है। न्यायिक नियुक्तियां संविधान के उपबंधों के अनुसार की जाती हैं। ऐसा होने पर भी, सरकार सामाजिक विविधता, जिसके अंतर्गत लिंग प्रतिनिधित्व भी है, के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध रहती है तथा नियुक्ति प्रक्रिया में उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहन देना जारी रखती है।

****